संख्या-121/2024/I/724484/2024/71-1001(099)/168/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 23 अगस्त, 2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में बर्न यूनिट के निर्माण कार्य की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2024-25/129, दिनांक 25.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-74-राजकीय मेडिकल कालेज कानपुरप्रयागराज में बर्न /आगरा/गोरखपुर/ यूनिट की स्थापनाके मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य में प्रावधिानित एकमुश्त धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष निर्माण कार्यो की वार्षिक कार्ययोजना/प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4210-03-105-74-राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा तथा प्रयागराज में बर्न यूनिट की स्थापना हेतु मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में बर्न यूनिट के निर्माण कार्य की अवशेष धनराशि **रू0 49.40 लाख (रू0 उनचास लाख चालीस हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
4. प्रायोजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परियोजना से सम्बन्धित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-37/2019/515/71-1-2018-जी-388/2013, दिनांक 08.03.2019 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 49,40,000 (रुपये उनचास लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031057400 राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा तथा प्रयागराज में बर्न यूनिट की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. प्रबन्ध निदेशक, कनस्ट्रकशन एण्ड डिजाइन सर्विसेज जल निगम, लखनऊ।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in